रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 546] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 31, 2013/कार्तिक 9, 1935
No. 546] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 31, 2013/KARTIKA 9, 1935

गृह मंत्रालय
(भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अक्तूबर, 2013

सा.का.नि 714(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय और राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में जनगणना कार्य निदेशकों के कार्यालय (वरिष्ठ पर्यवेक्षक) भर्ती नियम, 2001 और भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय और राज्यों तथा संघ राज्यक्षेत्रों में जनगणना कार्य निदेशकों के कार्यालय (कनिष्ठ पर्यवेक्षक) भर्ती नियम, 2001 का अधिक्रमण करते हुए, ऐसे अधिक्रमण से पहले इस संबंध में की गई या लोप की जाने वाली कार्यवाही को छोड़कर, भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय और राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में जनगणना कार्य निदेशकों के कार्यालय में पर्यवेक्षक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :** (1) इन नियमों का नाम भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय और राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में जनगणना कार्य के निदेशकों के कार्यालय, वरिष्ठ पर्यवेक्षक, भर्ती नियम, 2013 होगा।

   (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, पे बैण्ड तथा ग्रेड पे या वेतनमान :** उक्त पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका पे बैण्ड तथा ग्रेड पे या वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के कालम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, शैक्षिक अर्हताएं, आदि :** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, शैक्षिक अर्हताएं और उक्त पद से संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के कालम (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हताएं :** वह व्यक्ति, -

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या पत्नी जीवित है, से विवाह किया है; या

   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।